राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 64/2018

रामकुवार पुत्र जगु गुर्जर जाति गुर्जर निवासी झीड़ा ग्राम नई कोठी माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रार्थी

बनाम

1. छाजु पुत्र छोटू गुर्जर
2. नौरंग पुत्र छोटू गुर्जर
3. रोताश पुत्र छोटू
4. जयमल पुत्र छोटू गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम नई कोठी तन् माधोगढ़ तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
5. कमला पुत्री श्योलाल पत्नी अमरसिंह निवासी बुडानिया तहसील चिड़ावा
6. गुलाब पुत्री श्योलाल पत्नी स्व. दाताराम निवासी डुमोली कलां तहसील बुहाना।
7. ज्ञाना पुत्री श्योलाल पत्नी बाबुलाल ग्राम ढाणी गुजरावाली तन् पपुरना तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
8. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धंक।
9. तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....अप्रार्थीगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता

निर्णय दिनांक 08–09–2020

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम नई कोठी पटवार हल्का माधोगढ़ तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 175 के ख.नं. 679 रकबा 0.50 है., ख.नं. 690 रकबा 1.00 है., ख.नं. 720 रकबा 0.80 है., ख.नं. 721 रकबा 0.81 है., ख.नं. 722 रकबा 0.80 है. में प्रार्थी व अन्य व्यक्ति संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा बाहमी बंटवारे में भूमि ख.नं. 722 रकबा 0.80 है. व ख.नं. 721 प्रार्थी के हिस्से में आई हुई है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त है। वाके ग्राम नई कोठी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खाता सं. 84 के खसरा नंबर 696 रकबा 2.09 है. भूमि के अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 7 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि ख.नं. 721 व 722 में आवागमन के लिए मात्र एक रास्ता मैंन कच्चदी सड़क ढाणी रूपावाली से पूर्व दिशा में भूमि ख.नं. 697 की उत्तरी दिशा की मेढ़ के सहारे–सहारे भूमि ख.नं. 720 व 721 व ख.नं. 722 की भूमि में प्रार्थी का कदीमी रूप से आवागमन के रूप में रास्ते के रूप में व साधन ट्रेक्टर लाने व ले जाने के काम में आता रहा है। उक्त रास्ता ही प्रार्थी की भूमि ख.नं. 721 व 722 तक पहुंचलने के लिए मौजूद है इसके अलावा प्रार्थी के पास अपनी भूमि में आने जाने व साधन लाने ले जाने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है। उपरोक्त वर्णित रास्ता का एक प्रार्थना पत्र सं. 209/18 बउनवानी रामकिशन बनाम गिरधारी आदि विचाराधीन है तथा उक्त कदीमी रास्ते को रामचन्द्र उर्फ रामु पिता जयमल ने दिनांक 9.05.2019 को बन्द कर दिया तथा उक्त प्राथ्रना पत्र के अप्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र के अपने जवाब व नजरी नक्शा में भू अभिलेख निरीक्षक वृत बवाई की मौका रिपोर्ट की आपति प्रार्थना पत्र में ख.नं. 696 की उत्तरी मेढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के सहारे–सहारे ख.नं. 722 तक रास्ता मौके पर चालू होना बताया है तथा ख.नं. 696 के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 छाजूराम ने माननीय न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होकर दिनांक 12.06.2019 को उक्त प्रार्थना पत्र में शपथ पत्र पेश कर कहा कि ख.नं. 696 की भूमि मेरी स्वयं की खातेदारी की भूमि है तथा ख.नं. 696 की उतरी मेढ के सहारे–सहारे वर्तमान समय में रास्ता चालू है तथा प्रार्थी इस रास्ते से आवागमन आदि करते हैं तो हमें एतराज नहीं है जबकि ख.नं. 696 की उतरी मेढ़ पर नौरंग के मकान बने हुये हैं तथा मौके पर कोई रास्ता चालू नहीं हैं प्रार्थी का कदीमी रास्ता ख.नं. 697 में स्थित को बन्द करने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा पेश शपथ पत्र के अनुसार ख.नं. 696 में से 9 फीट चौड़ा रास्ता करने व साधन लाने ले जाने के बाबत कहा तो अप्रार्थीगण ने मना कर दिया। इसलिए यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ।

अतः आवेदनद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके ग्राम नई कोठी पटवार हल्का माधोगढ़ स्थित भूमि ख.नं. 721 व 722 में आने जाने के लिए एवं साधन ट्रेक्टर ऊंट गाड़ी आदि लाने ले जाने के लिये अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मैंन कच्ची सड़क ढाणी रूपावाली से ख.नं. 696 की उतरी मेड के सहारे–सहारे ख.नं. 722 तक तथा उक्त मेड पर मकान बने होने पर रास्ते को काटने में बाधा आती है तो मैंन सड़क ढाणी रूपावाली से अप्रार्थी सं. 1 के ख.नं. 696 में से बाहमी बंटवारा में आई भूमि की उतरी मेड के सहारे– सहारे ख.नं. 721 तक 9 फुट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर नक्शा तरमिम किया जावे व उक्त रकबा के लिये धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राशि निर्धारित कर या भूमि के बदले भूमि उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कथन किया है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की संयुक्त खातेदारी की भूमि होना स्वीकार है लेकिन प्रार्थी ने सभी सहखातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया तथा ना ही उन सबसे सहमति प्राप्त की है। ख.नं. 722 रकबा 0.80 है. ख.नं. 721 रकबा 0.81 है. प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की सयुंक्त खातेदारी की भूमि है कानूनी तथ्य यह हे कि जब तक विधिवत् विभाजन (बंटवारा) नहीं हो जाता तब तक उक्त भूमि को अकेले प्रार्थी की कब्जे काश्त की भूमि नहीं माना जा सकता। विधिनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार काश्तकार का कब्जा होता है इसलिये ख.नं. 722 व 721 पर भी प्रत्येक खातेदार का कब्जा है। प्रार्थी के द्वारा सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है इसलिये आवश्यक खातेदार काश्तकार को पक्षकार बनाये जाने के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। वास्तविकता तो यह है कि ख.नं. 696 के उतर में स्थित ख.नं. 695 में से होकर ख.नं. 723 के पश्चिमी दक्षिणी कौने से प्रार्थी का अपने खेत ख.नं. 721, 722 में आना जाना सदैव से ही रहा है तथा अभी भी उधर से ही आना जाना है। ख.नं. 723 के खातेदार नेतराम ने अपने खेत में आने जाने के लिए रास्ता ले रखा है उसी रास्ते से प्रार्थी भी अपने खेत में आना जाना करता है जिसके लिये नेतराम को कोई आपति व एतराज भी नहीं है। अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 696 के किसी भी भाग से प्रार्थी का अपने खेत ख.नं. 721, 722 में आना जाना कभी नहीं रहा प्रार्थी ने आधारहीन तथ्य दर्ज किये हैं जो चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी सं. 1 छाजू पुत्र छोटूराम आदि ख.नं. 696 के खातेदार काश्तकार हैं तथा ख.नं. 695 के खातेदार काश्तकार मनोज, विक्रम, विवेक पुत्र रामसिंह व निर्मला, मोना पुत्रियां रामसिंह तथा सजना देवी पत्नी रामसिंह निवासी नई कोठी माधोगढ है उक्त मनोज वगैरहा ने अपने खेत ख.नं. 695 का मौखिक तबादला करीब 15 वर्ष पहले अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 से कर लिया था उक्त तबादले के मुताबिक खेत ख.नं. 695 मनोज वगैरहा से अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 ने ले लिया था इसके बदले में अप्रार्र्थी सं. 1 लगायत 4 ने अपना खेत मनोज वगैरहा को दे दिया तथा इसी ख.नं. 695 से अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 ने नेतराम पुत्र सुरजाराम निवासी नई कोठी माधोगढ़ को अपने खेत में बने मकानों में आवागमन करने के लिए रास्ता दे रखा है तथा इसी रास्ते से प्रार्थी भी अपने खेत ख.नं. 722 व 721 में आना जाना करता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

उक्त वादग्रस्त भूमि बाबत तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि बाबत मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी पक्ष द्वारा ग्राम नई कोठी तन् माधोगढ़ स्थित अपनी खातेदारी कृषि भूमि खसरा नंबर 720 रकबा 0.80 है. में पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 697 रकबा 3.22 है. की उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे अपनी भूमि खसरा नंबर 720 तक भूमि खसरा नंबर 697 में से 12 फुट चौड़े रास्ते की मांग की गई है। खसरा नंबर 696 की उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे भूमि खसरा नंबर 722 तक मौके पर रास्ता चालू है। खसरा नंबर 696 की उत्तरी मेड़ के सहारे– सहारे कोई रास्ता नहीं है भूमि खसरा नंबर 696 की उत्तरी मेड़ पर नौरंग के पक्के पुख्ता पुराने मकानात बने हुये हैं। प्रार्थीगण अपने खेत खसरा नंबर 720 में आने–जाने, खेत की जुताई व ट्रेक्टर आदि के लिए खेत खसरा नंबर 697 की उत्तरी मेड़ के सहारे– सहारे की भूमि रास्ते के रूप में कदीमी रूप से उपयोग करते आ रहे हैं।

बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने हेतु प्रस्तुत किया है, उक्त आवेदन पत्र में प्रार्थी ने विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम नई कोठी तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नं. 721 व 722 में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 696 की उत्तरी मेड के सहारे–सहारे खसरा नंबर 721 तक 9 फुट चौड़ाई में रास्ता चाहा है। इस सम्बंध में तहसीलदार, खेतड़ी ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थी भूमि खसरा नंबर 721, 722 में आने–जाने, खेत की जुताई व ट्रेक्टर आदि के लिए खेत खसरा नंबर 720 में से होते हुए खेत खसरा नंबर 697 की उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे की भूमि रास्ते के रूप में कदीमी रूप से उपयोग करता आ रहा है। भूमि खसरा नंबर 697 की उत्तरी मेड़ के सटते हुये पश्चिमी दिशा की ओर कटानी रास्ता जिस पर ग्रेवल की हुई है।

इस प्रकार प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुतोष खण्ड सं. 13 (क) द्वारा चाहे गये रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक नहीं है। प्रार्थी को खसरा नंबर 721, 722 में पहुंचने हेतु वैकल्पिक साधन का अभाव नहीं है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भी वादग्रस्त भूमि का मौका मुआयना किया गया। प्रार्थी को भूमि खसरा नंबर 721, 722 आने–जाने तथा फसल काश्त करने एवं काटने–लाटने के लिए ट्रेक्टर, ऊंट गाड़ा आदि के लिए खसरा नंबर 697 की उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे की भूमि रास्ते के रूप में कदीमी रूप से उपयोग करता आ रहा है। प्रार्थी को वैकल्पिक साधन का अभाव साबित नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम साबित नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 08–09–2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.09.26 14:41:04 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner